

22/03/2022

पत्रावली पेश हुई। वादी मय वकील के उपाख्यित हुआ। प्रार्थी वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 151 जा.सी. के तहत पेश किया कि उपरोक्त अवानी प्रकरण में वादी एवं परिवारीगण में आपस में राजीनामा हो गया है। सब कोई राजा शेष नहीं रहा है।

मदनवीर
3.4.22
[Signature]

21/03/22

प्रार्थी वादी के प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया। वादी वकील के मुना गया तथा मुर्गी द्वारा हस्तक्षेप किया गया। पहचान वकील द्वारा की गई।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण इसी तरह पर खारिज किया जाता है पत्रावली प्रैसल सुनार होकर नमूदा से कम की जाकर साखिल इफ्त है।

उपखण्ड अधिकारी
मदवई (मरतपुर)